न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
15/2020	2020/00044	11.08.2020	26.02.2021

श्री व्यवस्थापक लैम्पस केलामेला, उचित मुल्य दुकानदार टामटिया तहसील पीपलखूँट

– प्रार्थी/अपीलान्ट

–: बनाम :–

जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़

– विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 13.10.2017 जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़

उपस्थिति :–
1. श्री कुशवेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री पैरोकार सरकार रसद

=: आदेश :– दिनांक :– 26.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी/रेस्पोडेन्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा बप्रकरण संख्या 176/2017 में दिनांक 13.10.2017 को बिना किसी आधार के प्रार्थी अपीलान्ट का उचित मुल्य दुकान टामटिया का प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूमि राशि जप्त करने का आदेश पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपीलार्थी यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि रेस्पोडेन्ट/विपक्षी द्वारा दिनांक 13.10.2017 को पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकुल होकर अपास्त किये जाने योग्य हैं।
2. यह कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान, टामटिया तहसील पीपलखूँट जिला प्रतापगढ़ का राशन डीलर है जिसका लाईसेंस कमांक है। अपीलान्ट द्वारा नियमित रूप से राशन सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं को किया जाता रहा है। अपीलान्ट द्वारा कभी भी प्राधिकार पत्र में वर्णित शर्तो का उल्लंघन नहीं किया है।
3. यह कि राजनैतिक द्वैषता के चलते ग्राम पंचायत टामटिया के सरपंच ने गॉव के कुछ लोगों को साथ में लेकर अपीलार्थी के विरूद्ध समय पर गेंहूँ वितरण नहीं करने व अनियमिता बरतने की

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

शिकायत रेस्पोडेन्ट को दिनांक 11.04.2017 को की थी जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निरस्त कर दिया गया।

4. यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त शिकायत की जॉच हेतु प्रवर्तन अधिकारी पीपलखूँट को दिनांक 07.09.2019 को निदेर्शित किया जिस पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बिना जॉच पड़ताल किए तथाकथित शिकायतकर्ता सरपंच व कतिपय लोगों के दबाव में आकर झुठी जॉच रिपोर्ट बनाकर पेश की जिसमें 6 उपभोक्ताओं को मार्च–2017 में समय पर गेंहूँ नहीं दिया जाना वर्णित किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 09.10.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा अपना जवाब रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें जिन उपभोक्ताओं को गेंहूँ का वितरण नहीं होना बताया था उनके संतुष्टि पत्र भी प्रस्तुत किये गये किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब को संतोषप्रद नहीं मानते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान किया गया है। जो विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि प्रवर्तन अधिकारी जो इस मामले की जॉच कर रहे थे उन्होंने उक्त शिकायत की न तो किसी ग्रामवासीयान व मौतबिरान से अपीलार्थी के व्यवहार के बारे में साक्ष्य ली ना ही अनियमितता के बारे में पूछा केवल शिकायतकर्ता सरपंच जो कि अपीलार्थी से राजनैतिक द्वैषता रखता है उसके दबाव में आकर उक्त झुठी जॉच रिपोर्ट तैयार कर पेश कर दी जिसे आधार मानते हुए रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि अपीलार्थी हमेशा नियमित समय पर उचित मूल्य की दुकान खोलता है एवं संचालित करता रहा है तथा नियमित रूप से उपभोक्ताओं को सामग्री का वितरण करता है कभी भी किसी भी उपभोक्ता को आज दिन तक शिकायत नहीं रही है किन्तु राजनैतिक द्वैषता के चलते कतिपय लोगों द्वारा झुठी शिकायत करने से अपीलार्थी को बिना सुनवाई का मौका दिये बगैर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में विधि एवं कानुनी भूल की है।

7. यह कि प्रार्थी अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है उसकी आजीविका का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। प्रार्थी अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान का संचालन करके अपनी आजीविका चलाता रहा है।

8. यह कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आदेश में अपीलार्थी द्वारा प्राधिकारी पत्र की शर्त संख्य 5, 11 एवं 17(सी) का उल्लंघन होना बता कर बिना विस्तृत जॉच एवं बिना भौतिक सत्यापन के एवं बिना ग्रामवासीयान व मौतबिरान से प्रार्थी अपीलान्ट के व्यवहार के बारे में जॉच किये जो प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया है। वह कानुन के मान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

9. यह कि अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की होकर निश्चित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

10. यह कि अपील के साथ अपीलार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

11. यह कि अपील के साथ अधिनस्थ न्यायालय का आदेश की प्रमाणित प्रति एवं सम्मन, प्रोसेस आदि पेश हैं।

12. यह कि अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद सूचना तामिल अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण की ओर से पैरोकार सरकार रसद मय रिकार्ड पत्रावली के साथ स्वयं उपस्थित हुए जिस पर दौराने बहस वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मेंमों में वर्णित कथनों को दौहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये की अपीलार्थी के विरूद्ध की गई समस्त

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

कार्यवाही राजनैतिक द्वैषतापूर्ण रही है तथा जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत दिनांक 11.04.2017 के विषय में बिना किसी यृक्ति–युक्त जांच के निलंबन आदेश क्रमांक 1631 दिनांक 11.04.2017 को जारी कर दिया तथा प्रस्तुत शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 26.08.2017 को मौका पर्चा निर्मित करते हुए सरसरी जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा उक्त क्रम में अपीलार्थी को प्रेषित कारण बताओं नोटीस दिनांक 07.09.2017 के विषय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 09.10.2017 मय बयानकर्ता उपभोक्ताओं के संतुष्टि पत्रों पर विचार किये बिना ही मनमाने तरीके निर्णय आदेश दिनांक 13.10.2017 को परीत किया गया जो एकतरफा कार्यवाही संदृश्य होने से स्वत अपास्त योग्य है।

इसी प्रकम में दौराने बहस पैरोकार सरकार रसद द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आदेश एवं पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 को समुचित बताते हुए निवेदन किया की अपीलार्थी द्वारा उचित मुल्य दुकान का संचालन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 के तहत् अपीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का नियमानुसार पालन नहीं किये जाने से विधिक आधारों पर निरस्त किया गया है अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेंमों दिनांक 26.11.2019 जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.04.2017 एवं 13.10.2017 तथा पर्चा मौका दिनांक 26.08.2017 एवं कारण बताओं नोटिस दिनांक 07.09.2017 तथा जवाब नोटिस दिनांक 09.10.2017 के साथ–साथ पत्रावली में उपलब्ध प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ प्रकरण पर लागु प्रचलित विधियों का भी गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन कि रोशनी में प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अमल में लाई गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध रही है क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत पत्र दिनांक 11.04.2017 के आधार पर ही अपीलार्थी के विरूद्ध निलंबन आदेश जारी किया गया तथा पर्चा मौका दिनांक 26.08.2017 के उपरान्त दिनांक 07.09.2017 को अपीलार्थी के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना तथा उक्त नोटीस के जवाब में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 09.10.2017 के अनुसार सुविधा के सन्तुलन को ध्यान में लाए बिना ही विवादित आदेश शिकायत दिनांक 11.04.2017 के पश्चात् दिनांक 13.10.2017 अर्थात लगभग 6 माह की अवधी उपरान्त अमल में लाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध अध्यारोपित दोषसिद्धी का अभाव रहा है। जिसके आधार पर अपील अपीलार्थी सिद्ध योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 176/2017 में जारी आदेश दिनांक 13.10.2017 को अपास्त करते हुए निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र (FPS 15250) जमा प्रतिभूति राशि के साथ बहाल किया जावे तथा अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावर्ती नहीं करें और करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.202। को मेरे द्वारा सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner